रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2017, शनिवार/ चैत्र 5—चैत्र 11, 1939

No. 9] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2017, SATURDAY/ CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ-** 1.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

 2. ये सरकारी राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में,-

(i) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) अनुसूची में ;-

(क) स्तम्भ (4) के अधीन, शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा।, अर्थात

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) स्तम्भ (4) के अधीन, प्रविष्टयों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2"

(ग) स्तम्भ (10) के अधीन, प्रविष्टि "ग्रेड वेतनमान 1800/- रु. या ग्रेड वेतन 1800 रु." जहां भी वें विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(घ) स्तम्भ (11) के अधीन, दो स्थानों पर विद्यमान प्रविष्टि "ग्रेड वेतनमान 1800/- रु. के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एए 'ए' एंड एए 'बी'/सी/एम/01/268/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.नि.आ. सं 12 दिनांक 15 फरवरी, 2013 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) **Short Title and commencement.**- These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules 2013,-

(i) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" and "pay band grade pay or pay scale", wherever they occur, the words "Level in the Pay Matrix" shall respectively be substituted;

(ii) in the Schedule,-

(a) in column (4), for the heading the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

(b) under column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 in the pay matrix",

(c) under column (10), for the entry "Grade pay of Rs. 1800" or"grade pay of Rs.1800", wherever they occur, the entry "Level-1 in the pay matrix" shall respectively be substituted;

(d) under column (11), for the entry "Grade pay of Rs.1800" occurring at two places, the entry "Level-1 in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. DHRD/76257/RRs/AA 'A' & AA 'B'/C/M/01/268/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O.12, dated 15th February, 2013.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ-** 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

   2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 में,-

   (i) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) अनुसूची में ;-

      (क) स्तम्भ (4) में शीर्षक के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शीर्षक रखा जाएगा।

      (ख) स्तम्भ (4) के अधीन, प्रविष्टियों के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

      (ग) स्तम्भ (10) के अधीन, प्रविष्टि "ग्रेड वेतनमान 1900/- रु." के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2" को रखा जाएगा;

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एए 'ए' एंड एए 'बी'/सी/एम/01/268/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मुख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 59 दिनांक 27 जुलाई , 2011 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.R.O. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C'(Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) **Short Title and commencement.-** These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011,-

   (i) in rule 2, for the words "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale" and "pay band and grade pay or pay scale" wherever they occur, the words "Level in the Pay Matrix" shall respectively be substituted;

   (ii) in the Schedule,-

      (a) in column (4), for the heading, the heading "Level in the Pay matrix" shall be substituted;

      (b) under column (4), for the entry, the entry "Level-4 in the Pay Matrix" shall be substituted;

      (c) under column (10), for the entry "Grade pay of Rs. 1900", the entry "Level-2 in the Pay matrix" shall be substituted;

[F. No.DHRD/76257/RRs/AA 'A' & AA 'B'/C/M/01/268/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O.59 dated 27th July 2011.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.नि.आ. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के समूह 'ग' पदों के भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- 1. इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, के समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 2013 में,-

1. नियम 3 में शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा;

2. अनुसूची के स्तम्भ (4) में,-

(क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थातः-

"वेतन मैट्रिक्स मे स्तर-1 (18000-56900 रु.)",

[फा. सं. मासंविनि/76257/बहु कार्य संवर्ग/आरआर/सी/पी/01/266/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 की अधिसूचना सं. 35 तारीख 23 मई 2013 को और अंतिम संशोधन अधिसूचना का.नि.आ. 12 तारीख 14, मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th March, 2017

S.R.O. 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. **Short Title and commencement.**- (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013,-

(1) in rule 3, for the words "pay band, grade pay or scales of pay and "pay band and grade pay or scales of pay" the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

(b) for the entry under column (4), the following entry shall substituted, namely:-

"Level-1(Rs.18000-56900) in the pay matrix".

[F. No. DHRD/76257/Multi Skilled Cadre/RRs/C/P/01/266/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes:-The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O.-35 dated the 23rd May, 2013 and last amended vide notification number S.R.O.-12 dated the 14th March, 2016.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 में,-

(i) नियम 2 में, शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) अनुसूची में ;-

(क) भंडार सहायक 'ख' पद के लिए,-

(i) स्तम्भ (4) में,-

(क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) शब्दों, अक्षरों और अंकों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू. एवं ग्रेड वेतन 2400 रू. के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्तर-4 (25500-81100 रू.)";

(ii) स्तम्भ (10) की मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू. एवं ग्रेड वेतन 1900 रू." के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रू.)" रखा जाएगा।

(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक पदोन्नति के अंतर्गत शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रू. एवं ग्रेड वेतन 1900 रू." के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रू.)" रखा जाएगा;

(ख) भंडार सहायक 'क' पद के लिए;-

(i) स्तम्भ (4) में शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू. एवं ग्रेड वेतन रू. 1900" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"स्तर-2 (19900-63200)"

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/भंडार सहायक 'क' तथा 'ख'/आरआरएस/सी/पी/02/542 /डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में का.नि.आ. 26, तारीख 23 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2017, शनिवार/ चैत्र 19—चैत्र 25, 1939
No. 11] NEW DELHI, APRIL 9—APRIL 15, 2017, SATURDAY/ CHAITRA 19—CHAITRA 25, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

[गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)]

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना) में कनिष्ठ इंजीनियर (नौ सेना गुणता आश्वासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), कनिष्ठ इंजीनियर (नौसेना गुणता आश्वासन), भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और उक्त पद से संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।